न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 128 / 2017 / अपील / एल.आर.एक्ट / कोटा
दायरा दिनांकः 12.10.2017
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. एसोसियेटेड स्टोन इण्डस्ट्रीज (कोटा लिमिटेड) कुदायला औद्योगिक क्षेत्र तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा जरिये पावर आफ अटोर्नी होल्डर बहादुरसिंह आत्मज स्व0 आशुसिंह जाति राजपूत निवासी ए0एस0आई0 कॉलोनी रामगंजमण्डी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।

... अपीलाट

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलांट
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा

:::निर्णय:::

दिनांक 11.7.2018

अपीलार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 283 / 2014 अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट बउनवान ए0एस0आई0 कं0 बनाम सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 11.7.2017 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट इन्द्राज दुरूस्त का इस आशय का पेश किया कि ग्राम दुर्जनपुरा के माल मे कम्पनी की खातेदारी की भूमि का हाल मे भू प्रबन्ध विभाग द्वारा किये गये भू प्रबन्ध के दौरान पुराने खसरा नम्बरान के नये खसरा नम्बर कायम कर रकबा है0 मे दर्ज किया गया तथा जो राजस्व नक्शा लठ्ठा बनाया गया उसमे नये खसरा नम्बर 47 रकबा 0.87 है0 ख0 नं0 494 / 47 रकबा 0.86 है0 का नाप 0.22 व ख0 नं0 7 रकबा 1.37 का 0.04, खसरा नम्बर 44 रकबा 0.85 है0 का 0.01, ख0 नं0 18 रकबा 0.86 है0 का 0.04 है0 ख0 नं0 41 रकबा 2.11 है0 का 0.02 है0 ख0 नं0 42 रकबा 1. 29 है0 का 0.08 है0 तथा ख0 नं0 40 रकबा 0.74 है0 का 0.08 है0 नाप रकबे के मुकाबले राजस्व नक्शे मे कम दर्शाते हुये नक्शे छोटे बना दिये गये। अतः भू प्रबन्ध विभाग द्वारा भू प्रबन्ध के दौरान की गई त्रुटियो को दुरूस्त कर नक्शे मे राजस्व अभिलेख मे दर्ज भूमियो के रकबा के अनुसार पूरा नाप दर्ज करवा कर राजस्व नक्शा दुरूस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को निर्णय दिनांक 11.7.2017 से खारिज किये जाने व्यथित होकर अपीलांट ने राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया अधीनस्थ न्यायालय प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट मे गवर्न नही होना गानने मे त्रुटि की है क्योंकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट की परिधि मे आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही प्रकरण लोक अदालत मे निर्णित करने मे त्रुटि की है अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक

न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने भू प्रबन्ध जो अपीलांट के ख0 नं0 का राजस्व नक्शा बनाया गया था वह मौके की स्थिति खाते व कब्जे को ध्यान मे नही रखकर इसके विपरीत त्रुटिपूर्ण रूप से छोटा बनाया गया था जो राजस्व अभिलेख मे दर्ज रकबे के अनुरूप नही है जिसको अपीलांट ने दस्तावेज प्रस्तुत कर साबित कर दिया था इसके उपरात भी अधीनस्थ न्यायालय ने हुक्म जेरअपील पारित करने मे त्रुटि की है। रेस्पो0 द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय मे जो जवाब प्रस्तुत किया है उससे भी अपीलांट के कथन की पुष्टि होती है अतः रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत जवाब की स्वीकारोक्ति के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दुरूस्ती का आदेश पारित किया जाना चाहिये था। अपील पेश करने मे हुई देरी क्षम्य की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर हुक्म जेरअपील निरस्त किया जावे तथा प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र मे वर्णित अनुतोष दिये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलांट मे अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 136 एलआरएक्ट बावत इन्द्राज दुरूस्ती प्रार्थना पत्र को राजस्व रिकार्ड की तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही मनमर्जी के आधार पर हुक्म जेरअपील पारित कर प्रार्थना पत्र को खारिज कर त्रुटि की है क्योंकि बिना राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट के किसी भी निष्कर्ष पर नही पहुंचा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही प्रकरण लोक अदालत मे निर्णित करने मे त्रुटि की है अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्तनीय है। इस तथ्य पर भी अधीनस्थ न्यायाय ने गौर नही किया कि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने भू प्रबन्ध जो अपीलांट के ख0 नं0 का राजस्व नक्शा बनाया गया था वह मौके की स्थिति खाते व कब्जे को ध्यान मे नही रखकर इसके विपरीत त्रुटिपूर्ण रूप से छोटा बनाया गया था जो राजस्व अभिलेख मे दर्ज रकबे के अनुरूप नही है जिसको अपीलांट ने दस्तावेज प्रस्तुत कर साबित कर दिया था इसके उपरात भी अधीनस्थ न्यायालय ने हुक्म जेरअपील पारित करने मे त्रुटि की है। रेस्पो0 द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत जवाब मे अपीलांट के कथन को स्वीकार किया था अतः जवाब की स्वीकारोक्ति के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दुरूस्ती का आदेश पारित किया जाना चाहिये था।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक अभिभाषक रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली मे उपलब्ध तथ्यो के आधार पर पारित किये जाने का कथन करते हुये अपील अपीलांट खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। डिले कन्डोन हेतु अपील के परिसीमा अधिनियम की धारा 5 अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया। रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रस्तुत शपथ मे वर्णित तथ्यो का खण्डन नही किया है तथा ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर/आधार अभिलेख प्रस्तुत किये है अतः शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यो को अविश्वसनीय माने जाने का कोई आधार अभिलेख पत्रावली मे उपलब्ध नही है। लिहाजा न्यायहित मे अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 अपील का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.7.2017 एवं पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख, पत्रावली की आदेशिका दिनांक 16.3.2017 अनुसार पत्रावली मे रिपोर्ट/बहस हेतु 12.6.2017 की तिथी नियत की गई थी। पीठासीन अधिकारी द्वारा नियत दिनांक 12.62017 को पत्रावली मे कोई आदेश पारित नही किया गया ना ही आदेशिका लिखी गई है बल्कि राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार–2017 केम्प कुम्भकोट मे दिनांक 11.7.2017 को प्रकरण मे अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट को खारिज किया गया है। यहां यह तथ्य भी विवेचनीय है कि आदेश/आदेशिका दिनांक 11.7.2017 मे भी पक्षकारो की उपस्थिति/अनुपस्थिति का कोई उल्लेख नही है ऐसी स्थिति मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट के इस

कथन की पुष्टि होती है अधीनस्थ न्यायालय हुकम जेरअपील दिनांक 11.7.2017 अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रकरण को लोक अदालत मे रख कर निर्णित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। ऐसी स्थिति मे उक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर हुक्म जेरअपील अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 11.7.2017 विधि विरूद्ध होने से अपास्त किया जाकर प्रकरण पक्षकारो को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का मुताबिक राजस्व रिकार्ड परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत एवं तथ्यात्मक निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित (रिमांड) किये जाने योग्य है।

7 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश/निर्णय दिनांक 11.7.2017 अपास्त किया जाता है। प्रकरण पक्षकारो को विधिवत सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट मे वर्णित तथ्यो का मुताबिक राजस्व रिकार्ड परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत एवं तथ्यात्मक निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी को प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है।

8 निर्णय आज दिनांक 11.7.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा